न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/3346/2004/ बाडमेर

1. सवाई सिंह पुत्र पोकर सिंह
2. किशन सिंह पुत्र पोकर सिंह (मृतक) जरिए वारिसान :–

2.1 स्वरुप सिंह पुत्र किशन सिंह

2.2 चन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी आसाडी, तहसील शिव, जिला बाडमेर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुजान सिंह
2. प्रेम सिंह
3. शैतान सिंह
4. जय सिंह

पुत्रान शेर सिंह जाति राजपूत

5. श्रीमती कनक कॅवर पत्नि शेर सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी आसाडी, तहसील शिव, जिला बाडमेर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिव, जिला बाडमेर

.....रैस्पो0

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/3347/2004/ बाडमेर

1. सवाई सिंह पुत्र पोकर सिंह
2. किशन सिंह पुत्र पोकर सिंह (मृतक) जरिए वारिसान :–

2.1 स्वरुप सिंह पुत्र किशन सिंह

2.2 चन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी आसाडी, तहसील शिव, जिला बाडमेर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुजान सिंह
2. प्रेम सिंह
3. शैतान सिंह
4. जय सिंह

पुत्रान शेर सिंह जाति राजपूत

5. श्रीमती कनक कॅवर पत्नि शेर सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी आसाडी, तहसील शिव, जिला बाडमेर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिव, जिला बाडमेर

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ

श्री महावीर सिंह, सदस्य

श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री हंगामी लाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री दुनीचन्द डिढारिया, अधिवक्ता रैस्पो0 1 से 3 व 5

अपीडी/टिए/3346/2004/बाडमेर
सवाई सिंह बनाम सुजान सिंह
अपीडी/टिए/3347/2004/बाडमेर
सवाई सिंह बनाम सुजान सिंह

निर्णय

दिनांकः 05–12– 2018

हस्तगत दोनों अपीलें अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 42/2004 एवं 43/2004 शीर्षक श्रीमती भूला बनाम हरजी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26–02–2002 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलों में निहित पक्षकारान, विवाद बिन्दु व अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित करने से, दोनों अपीलों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। निर्णय सम्बन्धित पत्रावली में लगाया जाए।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (उप खण्ड अधिकारी) मुख्यावास बाडमेर के समक्ष वादी/हस्तगत अपील के अपीलार्थीगण के द्वारा प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरुद्ध धारा 88, 188, 91 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र मौजा अगासडी, तहसील शिव की भूमि के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की पैत्रक भूमि है। वादपत्र के मद संख्या–1 में सजरा प्रस्तुत किया गया और अंकित किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण बॅटवार कर अपने अपने हिस्से पर काबिज है। वादपत्र में अनुतोष चाहा गया कि खसरा नम्बर 225/2 रकबा 78–13 बीघा, खसरा नम्बर 271/2 रकबा 119–04 बीघा की पूरी भूमि व खसरा नम्बर 304/2 रकबा 160–19 बीघा का आधा हिस्सा यानि 801–04 बीघा वादी की खातेदारी में घोषित की जाए। खसरा नम्बर 604 रकबा 193–04 बीघा मौजा गिराब की आधी भूमि का हिस्सा जो वादीगण की खातेदारी का है वह जयसिंह गोद पुत्र बिरद सिंह की खातेदारी में घोषित किया जाए। खसरा नम्बर 304/2 रकबा 801–03 बीघा, खसरा नम्बर 245/2 रकबा 103–5 बीघा, खसरा नम्बर 564/2 रकबा 174–07 बीघा में समस्त प्रतिवादीगण का बराबर हिस्सा घोषित किया जाए। सहायक कलक्टर, बाडमेर ने निर्णय दिनांक 24–3–1995, 6–4–1995 से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया और दिनांक 22–12–1995 से अंतिम डिक्री किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष, निर्णय दिनांक 22–12–1995 के विरुद्ध अपील संख्या 42/2004 एवं निर्णय दिनांक 24–3–1995 एवं 6–4–1995 के विरुद्ध अपील संख्या 43/2004 प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 30–6–2004 से अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। इसके विरुद्ध मण्डली के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरुद्ध परीक्षण न्यायालय के समक्ष घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था और उक्त वादपत्र में प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को

डिक्री करने में अपनी सहमति प्रदान की है और इस इकबाली जबाबदावा पर किए गए पक्षकारान के हस्ताक्षरों को प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा पहचान किया गया है तथा न्यायालय द्वारा इसे विधिवत तस्दीक किया गया है। न्याय दृष्टान्त आर0एल0आर0 1993 (1) नेज 259 में मान0उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से मत प्रतिपादित किया है कि पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर न्यायालय को डिक्री पारित करनी चाहिए, अतः इस प्रकार की स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित की गई प्राथमिक व अंतिम डिक्री नियमों के परिप्रेक्ष्य में हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इन निर्णयों में अनावश्यक रुप से हस्तक्षेप किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने का मुख्य आधार यही लिया है कि अपीला0 को सुनवाई का मौका प्रदान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में हमारा उज्र यही है कि जब परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित हो कर इकबाल दावा प्रस्तुत कर दिया गया है तो यह कैसे माना जा सकता है कि उन्हें निर्णय का ज्ञान नहीं था और उन्हें सुना नहीं गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रकरण में अपने स्तर पर ही उभय पक्ष को सुन कर गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिए था। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अनावश्यक रुप से रिमाण्ड कर प्रकरण के निस्तारण में देरी की गई है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को निरस्त करने और परीक्षण न्यायालय के निर्णयों को पुष्ट करने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि रैस्पो0 के पूर्वजें के कब्जे काश्त खातेदारी की है और रैस्पो0प्रश्नगत भूमि में खातेदार होने से, परीक्षण न्यायालय के स्तर पर रैस्पो0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। रैस्पो0 कभी भी परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं और ना ही किसी प्रकार से सुनवाई हेतु कोई नोटिस आदि ही जारी किए गए है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरुद्ध धारा 88, 188, 91 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र मौजा अगासडी, तहसील शिव की भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी जयसिंह की ओर से दिनांक 21–8–1990 को सहमति का जबाब दावा प्रस्तुत किया और शेष प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 26–8–1991 को सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–3–1995 जिसके द्वारा दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया गया है, में वादी व प्रतिवादी दोनों पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति अंकित है और निर्णय के पेज संख्या में पैरा संख्या में 5 में अंकित किया गया है “प्रतिवादी संख्या 1

से 5 ने वाद के कथन को स्वीकार करते हुये इकबाली जबाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 6 को उक्त घोषणा से कोई आपत्ति नहीं है।" अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय पारित करने का मुख्य आधार यही लिया है कि अपीलाण्ट प्रतिवादीगण पर सम्मनों की पर्याप्त तामील नहीं करवाई गई है और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हमारे मतानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि दावे में प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने को आधार बनाते हुये प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना स्पष्टतया उचित कार्यवाही नहीं रही है। हमारा ये भी मत है कि जब अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित हो कर अपील प्रस्तुत कर दी थी तो अपीलीय न्यायालय को उन्हें समुचित रुप से सुनते हुये, पत्रावली पर उपालब्ध रहे दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण–विवेचन करते हुये गुणावगुण पर प्रकरण को निस्तारित करना चाहिए था। प्रकरण को अनावश्यक रुप से रिमाण्ड करने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं था। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु निर्देशित करना हम उचित मानते हैं।

8. फलतः अपीलें सारवान पाए जाने से स्वीकार की जाती हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 42/2004 एवं 43/2004 शीर्षक श्रीमती भूला बनाम हरजी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26–02–2002 निरस्त किए जाते हैं और प्रकरण प्रति प्रेषित कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण, विवेचन, परीक्षण करते हुए, विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलों को गुणावगुण पर निस्तारित करें। उभय पक्ष दिनांक 28.12.2018 को राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य